संख्या-383**/2023/1648/41-2023-19(बजट)/2018**

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव**,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 01 मई**,** 2023

विषय:-जनपद सन्तकबीर नगर के संरक्षित स्मारक संतकबीर दास जी की समाधि, मजार तथा गुफा के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय पत्र सं0-9839/6-1-1(949)/2020-21**,** दिनांक 22.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद सन्तकबीर नगर के संरक्षित स्मारक संत कबीरदास की समाधि, मजार तथा गुफा के जीर्णोद्धार हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष प्रशासकीय स्वीकृति एवं अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
1	2018-19	संख्या-110/2018/1930/41-2018-19-(बजट)2018**,** दिनांक 22.06.2018	रू 0113.19 लाख + 0टी0एस0जी(वास्तविक भुगतान के आधार पर(	56.59
2	-201920	संख्या-208/2019/1946/41-2019-19-(बजट)2018**,** दिनांक 01.08.2019	रू 0100.86 लाख + 0टी0एस0जी(वास्तविक भुगतान के आधार पर(की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति	44.27
			कुल अवमुक्त धनराशि	**100.86**

3- पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-6030/6-1-1(यू0सी0/रा0यो0)/2022-23, दिनांक 18.11.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में परियोजना हेतु अनुबन्ध लागत रू0 79.62 लाख पर सेन्टेज रू0 09.95 लाख, लेबर से रू0 07.96 लाख व जी0एस0टी0 के मद में जमा की गयी धनराशि रू0 12.33 लाख के आधार पर प्रायोजना की कुल लागत रू0 109.86 लाख की गणना करते हुए अवमुक्त धनराशि रू0 100.86 लाख को घटाने के उपरान्त पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-600/2022/5238/001-19-Budget-2018**,** दिनांक 02.12.2022 द्वारा अवशेष धनराशि रू0 09.00 लाख (रू0 नौ लाख मात्र) अवमुक्त की गयी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उक्त के क्रम में पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-7409/6-1-1(949)/2020-21, दिनांक 06.01.2023 द्वारा परियोजना हेतु निविदा लागत रू0 79.62 लाख की सूचना देते हुए सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 02.12.2022 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के परिप्रेक्ष्य में लेबर सेस की धनराशि को संशोधित करने का अनुरोध किया गया।

पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-102/2023/168/41-2023-19 (बजट)/2018, दिनांक 11.02.2023 द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-600/2022/5238/001-19-Budget-2018, दिनांक 02.12.2022 को निरस्त करते हुए परियोजना हेतु अधिक अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 09.94 लाख को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराने हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त के क्रम में पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-9839/6-1-1(949)/2020-21, दिनांक 22.03.2023 द्वारा यह अवगत कराया गया कि शासनादेश दिनांक 11.02.2023 द्वारा शासनादेश दिनांक 02.12.2022 को निरस्त करते हुए अधिक अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 9.94 लाख को राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिये गये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अब तक अवमुक्त धनराशि में शासनादेश दिनांक 02.12.2022 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 09.00 लाख को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि उक्त शासनादेश द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण निदेशालय द्वारा नही किया गया है।

4- अत: उक्त पृष्ठभूमि में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-600/2022/5238/001-19-Budget-2018, दिनांक 02.12.2022 एवं शासनादेश संख्या-102/2023/168/41-2023-19 (बजट)/2018, दिनांक 11.02.2023 को निरस्त करते हुए अधिक अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 0.94 लाख को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराकर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रबंध निदेशक,उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
4. जिलाधिकारी, संतकबीर नगर।
5. निदेशक, उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण **(UPNEDA)**, लखनऊ, उ0 प्र0।
6. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, संतकबीर नगर।
8. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 व 12 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, इकाई-23, बस्ती।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, बस्ती मण्डल सिद्धार्थनगर।
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।